रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 2017/ ज्येष्ठ 12, 1939
No. 444] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2017/ JYAISTHA 12, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2017

सा. का. नि. 543(अ).— बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, कतिपय प्रारूप नियम भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 392(अ) तारीख 20 अप्रैल, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को 20 अप्रैल, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियम के संबंध में जनता से आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन नियम, 2017 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (1) में “बालक श्रम” शब्दों के स्थान पर “बालक और कुमार श्रम” शब्द रखे जाएंगे ।

3. मूल नियमों के नियम 2 में,--

(i) खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

'(क) "अधिनियम" से बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) अभिप्रेत है ;

(ख) "समिति" से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित तकनीकी सलाहकार समिति अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(घक) "निधि" से अधिनियम की धारा 14ख की उपधारा (1) के अधीन गठित बालक और कुमार पुनर्वास निधि अभिप्रेत है ;

(घख) "निरीक्षक" से धारा 17 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक अभिप्रेत है ;

(घग) "नगरपालिका" से संविधान के अनुच्छेद 243थ के अधीन गठित स्व:सरकार की कोई संस्था अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(ङक) "पंचायत" से संविधान के अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित पंचायत अभिप्रेत है ;';

(iv) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(ज) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो उनमें परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है ।'।

4. मूल नियमों के नियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'2अ. अधिनियम के उल्लंघन में बालकों और कुमारों के नियोजन के प्रतिषेध के संबंध में जागरुकता—केंद्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बालकों और किशोरों को नियोजित न किया जाए या उन्हें किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य करने के लिए अनुज्ञात न किया जाए, समुचित उपायों के माध्यम से,--

(क) लोक और पारंपरिक माध्यम तथा जनसंपर्क के माध्यम का उपयोग करके लोक जागरुकता अभियानों का प्रबंध करेगी, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन, रेडियों, इंटरनेट और प्रिंट मीडिया है ताकि साधारण पब्लिक, जिसके अंतर्गत बालकों और कुमारों, जिन्हें अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित किया गया हो, के नियोक्ता है, को अधिनियम के उपबंधों के विषय में जागरुक किया जाए जिससे कि नियोक्ताओं या अन्य व्यक्तियों को बालकों और कुमारों को अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करने से हतोत्साहित किया जा सके ;

(ख) उपक्रमों या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बालकों या कुमारों के नियोजन की घटनाओं की, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए संचार के आसानी से पहुंचे जा सकने वाले साधनों और विज्ञापनों का संवर्धन ;

(ग) संभव परिमाण तक अधिनियम, इन नियमों और उनसे संबंधित सूचना का रेल कोचों, रेलवे स्टेशनों, मुख्य बस स्टेशनों, टोल प्लाजास, पत्तनों और पत्तन प्राधिकरणों, विमानपत्तनों तथा अन्य लोक स्थानों, जिसके अंतर्गत शॉपिंग सेंटर, मार्किट, सिनेमा हाल, होटल, अस्पताल, पंचायत कार्यालय, पुलिस स्टेशन, आवासीय कल्याण संगम कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, विद्यालय, शैक्षिक संस्थाएं, न्यायालय परिसर तथा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत सभी प्राधिकारियों के कार्यालय हैं, में प्रदर्शन ;

(घ) समुचित विधि के माध्यम से विद्यालय शिक्षा में शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम में संवर्धन ; और

(ङ) प्रशिक्षण को समाविष्ट करने और अधिनियम के उपबंधों पर सामग्री के प्रति संवेदनशील बनाने तथा उसके प्रति विभिन्न पणधारियों के उत्तरदायित्व, केंद्रीय श्रम सेवा, पुलिस, न्यायिक और सिविल सेवा अकादमियों, अध्यापक प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का संवर्धन तथा अन्य सुसंगत पणधारियों, जिसके अंतर्गत पंचायत के सदस्य चिकित्सक और सरकार के संबंधित कार्मिक हैं, के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रमों का प्रबंध करना ।

2आ. बालक का शिक्षा को प्रभावित किए बिना कुटुंब की सहायता करना—(1) धारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बालक किसी भी रीति में अपनी विद्यालय शिक्षा को प्रभावित किए बिना,--

(क) अपने कुटुंब के उपक्रम में इस शर्त के अधीन रहते हुए सहायता कर सकेगा कि ऐसी सहायता,--

(i) अधिनियम के अनुसूची के भाग क एवं ख में सूचीबद्ध किसी परिसंकटमय व्यवसाय या प्रक्रिया में नहीं होगी ;

(ii) में विनिर्माण, उत्पादन, आपूर्ति या खुदरा श्रृंखला के किसी स्तर पर कोई कार्य या व्यवसाय या प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होगी, जो बालक या उसके कुटुंब या कुटुंब के उपक्रम के लिए पारिश्रमिक प्रदान करती हो ;

(iii) में उसके कुटुंब या कुटुंब उपक्रम की सहायता करने के लिए वहां अनुज्ञात किया जाएगा, जहां कुटुंब अधिभोगी है ;

(iv) में वह विद्यालय समय और 7 बजे सायं और 8 बजे प्रात: के बीच कोई कार्य नहीं करेगा ;

(v) में वह सहायता के ऐसे कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो बालक की शिक्षा के अधिकार या विद्यालय में उसकी उपस्थिति के साथ हस्तक्षेप करती हो या उसमें बाधा डालती हो या जो प्रतिकूल रूप से उसकी शिक्षा को प्रभावित करती हो, जिसके अंतर्गत ऐसे कार्यकलाप हैं, जिन्हें संपूर्ण शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता है जैसे गृह कार्य या अन्य अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियां हैं, जो उसे विद्यालय में सौंपी गई हैं ;

(vi) में बिना विश्राम के सतत रूप से किसी कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो उसे थका दें और उसे उसके स्वास्थ्य और मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए विश्राम अनुज्ञात किया जाएगा तथा कोई बालक एक दिन में विश्राम की अवधि को सम्मिलित न करते हुए तीन घंटें से ज्यादा के लिए सहायता नहीं करेगा ;

(vii) में किसी बालक का किसी वयस्क या कुमार के स्थान पर उसके कुटुंब या कुटुंब के उपक्रम की सहायता के लिए रखा जाना सम्मिलित नहीं है ; और

(viii) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन में नहीं होगी ;

(ख) अपने कुटुंब की मदद या सहायता ऐसी रीति में करना, जो किसी व्यवसाय, संकर्म, पेशे, विनिर्माण या कारबार या किसी संदाय या बालक को फायदें या किसी अन्य व्यक्ति की मदद के लिए, जो बालक पर नियंत्रण रखता है, के लिए है तथा जो बालक की वृद्धि, शिक्षा और समग्र विकास के लिए अवरोधकारी नहीं है ।

स्पष्टीकरण 1.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, केवल—

(क) बालक का सगा भाई और बहन ;

(ख) बालक के माता-पिता द्वारा विधिपूर्वक गोद लेने के माध्यम से बालक का भाई या बहन ; और

(ग) बालक के माता-पिता का सगा भाई और बहन,

को बालक के कुटुंब में सम्मिलित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2.(1)— स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभत: इस संबंध में कोई संदेह कि व्यक्ति सगा भाई या बहन है, को, यथास्थिति, संबंधित नगरपालिका या पंचायत द्वारा जारी ऐसे व्यक्ति की वंशावली या समुचित सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किसी अन्य विधिक दस्तावेज की जांच करके दूर किया जा सकेगा ।

(2) जहां विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा कोई बालक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक को बिना किसी संसूचना के लगातार तीस दिन के लिए अनुपस्थित रहता है तो प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक सूचना के लिए ऐसी अनुपस्थिति की संसूचना नियम 17ग के उपनियम (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट संबंधित नोडल अधिकारी को देगा ।

2इ. बालक का कलाकार के रूप में कार्य करना—(1) धारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बालक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए कलाकार के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) किसी बालक को एक दिन में पाँच घंटें से ज्यादा कार्य करने के लिए और बिना किसी विश्राम के तीन घंटों के अनधिक के लिए कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(ख) किसी श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम या किसी वाणिज्यिक समारोह, जिसमें बालक की भागीदारी अंतर्वलित है, का निर्माता बालक की सहभागिता को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से, जिसमें उस कार्यकलाप को किया जाना है, अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ही शामिल करेगा और जिला मजिस्ट्रेट को कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व प्ररूप ग में एक वचनबंध तथा बालक सहभागियों, यथास्थिति, माता-पिता या संरक्षक की सहमति, प्रोडक्शन या समारोह से व्यष्टिक का नाम, जो बालक की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं, की सूची प्रस्तुत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी फिल्म और दूरदर्शन कार्यक्रमों की स्क्रीनिंग इस डिस्क्लेमर को विनिर्दिष्ट करते हुए की जाएगी कि यदि किसी बालक को शूटिंग में नियोजित किया गया है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि शूटिंग की समस्त प्रक्रिया के दौरान बालक का दुरुपयोग, अनदेखी या उत्पीड़न नहीं हो, के लिए सभी उपाय किए गए हैं ;

(ग) खंड ख में निर्दिष्ट वचनबंध 6 मास के लिए विधिमान्य होगा और उसमें ऐसे प्रयोजन के लिए समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा संरक्षण नीतियों के अनुसार बालक की शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षा तथा बाल शोषण की रिपोर्ट करने के लिए उपबंधों का स्पष्ट कथन होगा, जिसके अंतर्गत—

(i) बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं का सुनिश्चय ;

(ii) बालक के लिए समयबद्ध पोषक आहार ;

(iii) दैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आपूर्ति के साथ सुरक्षित, स्वच्छ आश्रय ; और

(iv) बालकों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त सभी लागू विधियों का अनुपालन, जिसके अंतर्गत उनका शिक्षा, देखरेख और संरक्षण तथा यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए अधिकार है ;

(घ) बालक की शिक्षा के लिए समुचित सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यालय में पाठों की निरंतरता बनी रहे और किसी बालक को 27 दिन से अधिक के लिए लगातार कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(ङ) समारोह या कार्यक्रम के लिए अधिकतम 5 बालकों के लिए एक उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी ताकि बालक की सुरक्षा, देखरेख और उसके सर्वोत्तम हित का सुनिश्चय किया जा सके ;

(च) बालक द्वारा कार्यक्रम या समारोह से अर्जित आय के कम से कम बीस प्रतिशत को सीधे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बालक के नाम से नियत जमा खाते में जमा किया जाएगा जिसको बालक के वयस्क होने पर बालक को प्रत्यय किया जा सकेगा ; और

(छ) किसी बालक को उसकी इच्छा और सहमति के विरुद्ध किसी श्रव्य-दृश्य और क्रीड़ा कार्यकलाप, जिसके अंतर्गत अनौपचारिक मनोरंजन कार्यकलाप भी हैं, में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा ।

(2) धारा 3 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड ग के प्रयोजनों के लिए उसमें अंतर्विष्ट "अन्य ऐसा कार्यकलाप" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा—

(i) कोई कार्यकलाप, जिसमें बालक किसी खेल प्रतिस्पर्धा या समारोह या ऐसी खेल प्रतिस्पर्धा या समारोह के लिए प्रशिक्षण में भाग ले रहा है ;

(ii) दूरदर्शन पर सिनेमा और डाक्यूमेंटरी प्रदर्शन, जिसके अंतर्गत रियल्टी शो, क्वीज़ शो, टेलेंट शो, रेडियो या कार्यक्रम या कोई अन्य माध्यम है ;

(iii) नाटक सीरियल ;

(iv) किसी कार्यक्रम या समारोह में एंकर के रूप में भागीदारी ; और

(v) कोई अन्य कलात्मक अभिनय, जिसे केंद्रीय सरकार व्यष्टिक मामलों में अनुज्ञात करे, जिसके अंतर्गत धनीय फायदें के लिए स्ट्रीट प्रदर्शन सम्मिलित नहीं है ।'।

5. मूल नियमों के नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**15अ. कार्य के घंटें—**धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कुमार से किसी स्थापन में कार्य के उतने घंटों से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं होगी या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जितने की ऐसे स्थापन में कुमार के कार्य के घंटों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं ।"।

6. मूल नियमों के नियम 16 में उपनियम (1) में "बालक" शब्द के स्थान पर "कुमार" शब्द रखा जाएगा ।

7. मूल नियमों के 16 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**16अ. बालक या कुमार को बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि से रकम का संदाय—**(1) धारा 14ख की उपधारा (3) के अधीन बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि में, यथास्थिति, प्रत्यय, जमा या विनिधान की गई निधि और उस पर उदभूत ब्याज का उस बालक या कुमार को निम्नलिखित रीति में संदाय किया जाएगा जिसके पक्ष में ऐसे रकम का प्रत्यय किया गया है, अर्थात् :--

(i) अधिकारिता रखने वाला निरीक्षक या नोडल अधिकारी अपने पर्यवेक्षण के अधीन सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक या कुमार का एक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाए और, यथास्थिति, उस बैंक को, जिसमें निधि की रकम को जमा किया गया है या धारा 14ख की उपधारा (3) के अधीन निधि में रकम को जमा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ;

(ii) बालक या कुमार के पक्ष में निधि में समानुपाती रकम पर उदभूत ब्याज को अर्ध-वार्षिक रूप से यथास्थिति, बालक या कुमार के खाते में बैंक या रकम का विनिधान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निरीक्षक को सूचना के अधीन ;

(iii) जब संबद्ध बालक या कुमार अठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तब यथा संभव शीघ्र तुरन्त या तीन मास की अवधि के भीतर, बालक के पक्ष में उस पर उद्‌भूत ब्याज, जिसमें बैंक में शेष ब्याज या धारा 14ख की उप-धारा (3) के अधीन इस प्रकार विनिधान किया गया शेष भी है, के साथ जमा की गई, निक्षेप की गई या विनिधान की गई कुल रकम, यथास्थिति, बालक या कुमार के उक्त बैंक खाते में अन्तरित की जाएगी ; और

(iv) निरीक्षक संबद्ध बालक या कुमार की विशिष्टियों, जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त हैं, के साथ खंड (ii) और खंड (iii) के अधीन अन्तरित रकम की एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से रिपोर्ट की एक प्रति सूचनार्थ भेजेगा।

(2) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए बालक या कुमार के पक्ष में न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में जुर्माने के माध्यम से या अपराधों के शमन के लिए वसूल की गई कोई रकम भी निधि में जमा की जाएगी और ऐसे आदेश या निर्णय के अनुसार व्यय की जाएगी।

8. 'मूल नियमों के नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

'17 आयु का प्रमाणपत्र- (1) जहां निरीक्षक को यह आशंका है कि किसी कुमार को किसी ऐसे व्यवसाय या प्रसंस्करणों में नियोजित किया गया है जिनमें उसे अधिनियम की धारा 3क के अधीन नियोजित किया जाना प्रतिषिद्ध है, वहां वह ऐसे कुमार के नियोजक से यह उपेक्षा कर सकेगा कि वह समुचित चिकित्सा प्राधिकारी से आयु का प्रमाणपत्र निरीक्षक को प्रस्तुत करे।

(2) समुचित चिकित्सा प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन आयु का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कुमार की परीक्षा करने समय;-

(i) कुमार का आधार कार्ड, और उसके अभाव में;

(ii) विद्यालय से जारी जन्म की तारीख का प्रमाणपत्र या, कुमार के संबद्ध परीक्षा बोर्ड से जारी मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हों और उसके अभाव में;

(iii) निगम या नगरपालिक प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिए गए कुमार का जन्म प्रमाणपत्र पर विचार करेगा;

और खंड (i) से खंड (iii) में विनिर्दिष्ट पद्धतियों के अभाव में ही, अस्थिविकास परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण के माध्यम से ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आयु अवधारित की जाएगी।

(3) अस्थिविकास परीक्षण या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण अपर श्रम आयुक्त की पंक्ति के समुचित प्राधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, के आदेश पर संचालित किया जाएगा और ऐसा अवधारण, ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पूरा किया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आयु प्रमाणपत्र प्ररूप 'ख' में जारी किया जाएगा।

(5) आयु प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार वहीं होंगे जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उनके चिकित्सा बोर्डों के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(6) चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार उस कुमार के नियोजक द्वारा वहन किए जाएंगे जिसकी आयु इस नियम के अधीन अवधारित की जाती है।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(i) "चिकित्सा प्राधिकारी" से ऐसा कोई सरकारी चिकित्सक, जो किसी जिले के सहायक शल्य चिकित्सक की पंक्ति से अन्यून हो या कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय या अस्पतालों में नियोजित समतुल्य पंक्ति का नियमित चिकित्सक अभिप्रेत है;

(ii) "कुमार" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) में यथा परिभाषित कुमार अभिप्रेत है।'।

9. मूल नियम के नियम 17 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगें; अर्थात्:-

"**17क व्यक्ति, जो परिवाद फाइल कर सकेंगे-** ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी अपराध के किए जाने के लिए अधिनियम के अधीन परिवाद फाइल कर सकेगा, में स्कूल प्रबंधन समिति, बालक संरक्षण समिति, पंचायत या नगरपालिका से स्कूल अध्यापक और प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, जो उस दशा में परिवाद फाइल करने के लिए संवेदनशील होंगे कि उनके अपने-अपने स्कूलों के छात्रों में से कोई छात्र इस अधिनियम के इन उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित किया जाता है ।

17ख. अपराधों का शमन करने की रीति- (1) कोई अभियुक्त व्यक्ति,-

(i) जो धारा 14 की उप-धारा (3) के अधीन पहली बार कोई अपराध करता है; या

(ii) जो माता-पिता या संरक्षक होते हुए, उक्त धारा के अधीन अपराध करता है,

धारा 14घ की उप-धारा (1) के अधीन अपराध का शमन करने की अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन फाइल कर सकेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट उप-नियम (1) के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर अभियुक्त व्यक्ति और संबद्ध निरीक्षक को सुनने के पश्चात्, आवेदन का निपटान करेगा और यदि आवेदन अनुज्ञात कर दिया जाता है तो निम्नलिखित के अधीन रहते हुए शमन करने का प्रमाणपत्र जारी करेगा-

(i) ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत की राशि का संदाय; या

(ii) खंड (i) के अधीन विनिर्दिष्ट शमनकारी रकम के साथ ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने का पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का संदाय, यदि अभियुक्त उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर शमनकारी रकम का संदाय करने में असफल रहता है और ऐसा विलंबित संदाय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथाविनिर्दिष्ट की जाने वाली और अवधि, जो उस खंड में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगी, के भीतर किया जाएगा ।

(3) शमनकारी रकम अभियुक्त व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को संदत्त की जाएगी।

(4) यदि अभियुक्त व्यक्ति उप-नियम (2) के अधीन शमनकारी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो कार्यवाही धारा 14घ की उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार जारी रहेगी।

17ग. जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य- (1) जिला मजिस्ट्रेट-

(i) नोडल अधिकारियों के रूप में ज्ञात होने वाले उसके अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों को, जो वह आवश्यक समझे, विनिर्दिष्ट करेगा, जो धारा 17क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको प्रदत्त और अधिरोपित जिला मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(ii) नोडल अधिकारी को अधीनस्थ अधिकारी के रूप में उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी शक्तियों और पालन किए जाने वाले कर्तव्यों, जो वह समुचित समझे, को समनुदेशित करेगा।

(iii) निम्नलिखित से मिलकर बनी जिले में बनाई जाने वाले कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा;-

(क) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए धारा 17 के अधीन नियुक्त निरीक्षक;

(ख) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए पुलिस अधीक्षक;

(ग) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट;

(घ) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए खंड (i) के अधीन निर्दिष्ट नोडल अधिकारी;

(ङ) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय);

(च) दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रमी आधार पर जिले में नियोजित बालकों के बचाव और पुनर्वास में अन्तर्वलित प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन से दो-दो प्रतिनिधि;

(छ) जिला न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि; और

(ज) जिला दुर्व्यापार निवारण यूनिट का सदस्य;

(झ) जिले की बालक कल्याण समिति का अध्यक्ष;

(ञ) महिला और बाल विकास से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय की एकीकृत बालक संरक्षण स्कीम के अधीन जिला बाल श्रम संरक्षण अधिकारी;

(ट) जिला शिक्षा अधिकारी ;

(ठ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य व्यक्ति;

(ड) कार्य बल का सचिव खंड (i) में निर्दिष्ट कोई नोडल अधिकारी होगा और अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;

(2) उप-धारा (1) के खंड (iii) में निर्दिष्ट कार्यबल प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा और उपलब्ध समय, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार छापामारी का बिन्दु, योजना की गोपनीयता, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पीड़ितों और साक्षियों का संरक्षण तथा अंतरिम अनुतोष को ध्यान में रखते हुए बचाव कार्य संचालित करने की व्यापक कार्रवाई योजना बनाएगा और कार्य बल केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए सृजित पोर्टल पर ऐसी बैठक के कार्यवृत्त को भी अपलोड कराएगा।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कर्तव्यों के अलावा, जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित करेगा कि बालक और कुमार, जो अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित किए जाते हैं, बचाए जाते हैं तथा उन्हें (क) निम्नलिखित के उपबंधों के अनुसार पुनर्वसित किया जाएगा-

(i) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा तद्धीन बनाए गए नियम;

(ii) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19);

(iii) केन्द्रीय बंधित श्रमिक पुनर्वास सेक्टर स्कीम, 2016;

(iv) कोई राष्ट्रीय बालक श्रम परियोजना;

(v) तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि स्कीम, जिसके अधीन ऐसे बालकों या कुमारों को पुनर्वसित किया जाए; और निम्नलिखित के अध्यधीन-

(I) सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के निदेश, यदि कोई हों;

(II) इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

17घ, निरीक्षकों के कर्तव्य- धारा 17 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई निरीक्षक, अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए,

(i) समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निरीक्षण के सन्नियमों का अनुपालन करेगा;

(ii) इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन करेगा; और

(iii) इस अधिनियम के उपबंधों का पालन सुनिश्चत करने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए निरीक्षण तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में केन्द्रीय सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट करेगा।

17ड. आवधिक निरीक्षण और मॉनीटर करना- केन्द्रीय सरकार धारा 17 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए मॉनीटर करने तथा निरीक्षण की प्रणाली सृजित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

(i) उन स्थानों का निरीक्षक द्वारा संचालन किए जाने वाले आवधिक निरीक्षण की संख्या, जिन पर बालकों के नियोजन प्रतिषिद्ध हैं और परिसंकटमय व्यवसायों या प्रसंस्करण किए जाते हैं;

(ii) ऐसे अन्तरालों, जिन पर निरीक्षक केन्द्रीय सरकार को खंड (i) अधीन निरीक्षण की विषय-वस्तु से संबंधित उसको प्राप्त हुई शिकायतों तथा तत्पश्चात् उसके द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरों की रिपोर्ट करेगा;

(iii) निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अभिलेख का रखा जाना-

(क) अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कार्य करते हुए पाए गए बालक और कुमार, जिसमें ऐसे बालक भी हैं जो इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर कुटुम्ब या कुटुम्ब उधमों में लगे हुए पाए जाते हैं;

(ख) शमन किए गए अपराधों की संख्या और ब्यौरे;

(ग) अधिरोपित और वसूल की गई शमनकारी रकम के ब्यौरे; और

(घ) अधिनियम के अधीन बालकों और किशोरों को प्रदान की गई पुनर्वास सेवाओं के ब्यौरे।"।

10. मूल नियम से संलग्न प्ररूप क के स्तंभ 2 के शीर्ष में, "बालक का नाम" शब्दों के स्थान पर "कुमार का नाम" शब्द रखे जाएंगे।

11. मूल नियम से संलग्न प्ररूप ख के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप ग

[नियम 2इ(1)(ख) देंखे]

बालक और कुमार श्रम

(प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1988 के नियम 2इ(1)(ख) के अधीन वचनबंध

मैं,....................... वाणिज्यिक आयोजन.............................. का श्रव्य दृश्य मीडिया प्रस्तुतीकरण या आयोजक.......................... का उत्पादक हूं जिसमें निम्नलिखित बालक भाग ले रहे हैं, अर्थात्:-

क्र. सं. बालको/बालकों का नाम माता-पिता/संरक्षक का नाम पता

यह वचन देता हूं कि................................ आयोजन (आयोजन को विनिर्दिष्ट करें) में ऊपर उल्लिखित बालकों के शामिल होने के दौरान, बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) और बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1988 के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं होगा और बालकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा अन्य अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि उसे/उन्हें कोई असुविधा न हो। मैं यह भी वचन देता हूं कि आयोजन के दौरान बालकों के संरक्षण, जिसके अन्तर्गत उनके शिक्षा के अधिकार, देखभाल और संरक्षण, लैंगिक अपराधों के विरूद्ध विधिक उपबंध भी हैं, के लिए तत्समय प्रवृत्त लागू सभी विधियों का अनुपालन किया जाएगा।

तारीख.................... नाम और हस्ताक्षर।"।

[सं.ए-42025/2/2004-सीएल (खंड IV)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 847(अ) तारीख 10 अगस्त, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2017

G.S.R. 543 (E).—Whereas the draft of certain rules to amend the Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1988 were published as required by sub-section (1) of Section 18 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), in the notification of the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 392(E), dated the 20th April, 2017, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 20th April, 2017;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1988, namely:-

1. (1) These rules may be called the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1988 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 1, in sub-rule (1), for the words "Child Labour", the words "Child and Adolescent Labour" shall be substituted.

3. In rule 2 of the principal rules, --

(i) for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

'(a) "Act" means the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986);

(b) "Committee" means the Technical Advisory Committee constituted under sub-section (1) of section 5 of the Act;';

(ii) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:-

'(da) "Fund" means the Child and Adolescent Rehabilitation Fund constituted under sub-section (1) of section 14B of the Act;

(db) "Inspector" means the Inspector appointed by the Central Government under section 17;

(dc) "Municipality" means an institution of self-Government constituted under article 243Q of the Constitution;';

(iii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ea) "Panchayat" means a Panchayat constituted under article 243B of the Constitution;';

(iv) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

"(h) words and expressions used in these rules, but not defined therein and defined in the Act, shall have the meanings as assigned to them in the Act.".

4. After rule 2 of the principal rules, the following rules shall be inserted, namely:-

'2A. **Awareness on prohibition of employment of child and adolescents in contravention to Act**.- The Central Government, to ensure that the children and adolescents are not employed or permitted to work in any occupation or process in contravention to the provisions of the Act, through appropriate measures, shall –

(a) arrange public awareness campaigns using folk and traditional media and mass media including television, radio, internet based application and the print media to make the general public, including the employers and the children and adolescents who may be employed in contravention to the provisions of the Act, aware about the provisions of the Act, and thereby discourage employers or other persons from engaging children and adolescents in any occupation or process in contravention of the provisions of the Act;

(b) promote reporting of enterprises or instances of employment of children or adolescents in contravention to the provisions of the Act, by developing and advertising easily accessible means of communication to authorities specified by the Central Government;

(c) display to the possible extent the provisions of the Act, these rules and any other information relating thereto in railway coaches, at railway stations, major bus stations, toll plazas, ports and port authorities, airports and other public places including shopping centers, markets, cinema halls, hotels, hospitals, Panchayat offices, police stations, resident welfare association offices, industrial areas, schools, educational institutions, court complexes, and offices of all authorities authorised under the Act;

(d) promote through appropriate method the inclusion of the provisions of the Act in learning material and syllabus in school education; and

(e) promote inclusion of training and sensitisation material on the provisions of the Act and the responsibilities of various stakeholders thereto, in Central Labour Service, police, judicial and civil service academies, teachers training and refresher courses and arrange sensitisation programmes for other relevant stakeholders including, Panchayat members, doctors and concerned officials of the Government.

2B. **Child to help his family without affecting education**.- (1) Subject to the provisions of section 3, a child may, without affecting his school education, in any manner, –

(a) help his family in his family enterprise, subject to the condition that such help, --

(i) shall not be in any hazardous occupation or process listed in Part A and Part B of the Schedule to the Act;

(ii) shall not include work or occupation or process at any stage of the manufacturing, production, supply or retail chain that is remunerative for the child or his family or the family enterprise;

(iii) shall only be allowed to help in his family, or in a family enterprise, where his family is the occupier;

(iv) shall not perform any tasks during school hours and between 7 p.m. and 8 a.m.;

(v) shall not be engaged in such tasks of helping which hinders or interferes with the right to education of the child, or his attendance in the school, or which may adversely affect his education including activities which are inseparably associated to complete education such as homework or any extra-curricular activity assigned to him by the school;

(vi) shall not be engaged in any task continuously without rest which may make him tired and shall be allowed to take rest to refresh his health and mind, and a child shall not help for more than three hours excluding the period of rest in a day;

(vii) shall not include in anyway substitution of the child for an adult or adolescent while helping his family or family enterprise; and

(viii) shall not be in contravention to any other law for the time being in force;

(b) aid or assist his family in such manner which is not incidental to any occupation, work, profession, manufacture or business, or for any payment or benefit to the child or any other person exercising control over the child, and which is not detrimental to the growth, education and overall development of the child.

Explanation 1.- For the purposes of this rule, only –

(a) biological brother and sister of the child;
(b) brother or sister of the child through lawful adoption by parents of the child; and
(c) biological brother and sister of parents of the child,

shall be included for comprising the family of a child.

Explanation 2.- For the purposes of *Explanation 1*, it is hereby clarified that preliminarily, any doubt as to whether a person is a biological brother or sister, may be removed by examining the pedigree of such person issued by the concerned Municipality or Panchayat, as the case may be, or any other legal document issued by concerned authority of the appropriate Government.

(2) Where a child receiving education in a school remains absent consecutively for thirty days without intimation to the Principal or Head Master of the school, then, the Principal or Head Master shall report such absence to the concerned nodal officer referred to in clause (i) of sub-rule (1) of rule 17C for information.

2C. **Child to work as an artist**.- (1) Subject to the provisions of section 3, a child may be allowed to work as an artist subject to the following conditions, namely: –

(a) no child shall be allowed to work for more than five hours in a day, and for not more than three hours without rest;

(b) any producer of any audio –visual media production or any commercial event involving the participation of a child, shall involve a child in participation only after obtaining the permission from the District Magistrate of the district where the activity is to be performed, and shall furnish to the District Magistrate before starting the activity an undertaking in Form C and the list of child participants, consent of parents or guardian, as the case may be, name of the individual from the production or event who shall be responsible for the safety and security of the child, and ensure that all screening of his films and television programmes shall be made with a disclaimer specifying that if any child has been engaged in the shooting, then, all the measures were taken to ensure that there has been no abuse, neglect or exploitation of such child during the entire process of the shooting;

(c) the undertaking referred to in clause (b) shall be valid for six months and shall clearly state the provisions for education, safety, security and reporting of child abuse in consonance with the guidelines and protection policies issued by the Central Government from time to time for such purpose including –

(i) ensuring facilities for physical and mental health of the child;
(ii) timely nutritional diet of the child;
(iii) safe, clean shelter with sufficient provisions for daily necessities; and
(iv) compliance to all laws applicable for the time being in force for the protection of children, including their right to education, care and protection, and against sexual offences;

(d) appropriate facilities for education of the child to be arranged so as to ensure that there is no discontinuity from his lessons in school and no child shall be allowed to work consecutively for more than twenty-seven days;

(e) one responsible person be appointed for maximum of five children for the production or event, so as to ensure the protection, care and best interest of the child;

(f) at least twenty per cent, of the income earned by the child from the production or event to be directly deposited in a fixed deposit account in a nationalised bank in the name of the child which may be credited to the child on attaining majority; and

(g) no child shall be made to participate in any audio visual and sports activity including informal entertainment activity against his will and consent.

(2) For the purposes of clause (c) to the *Explanation* to sub-section (2) of section 3, the expression “such other activity” contained therein, shall mean –

(i) any activity where the child himself is participating in a sports competition or event or training for such sports competition or event;
(ii) cinema and documentary shows on television including reality shows, quiz shows, talent shows; radio and any programme in or any other media;
(iii) drama serials;
(iv) participation as anchor of a show or events; and
(v) any other artistic performances which the Central Government permits in individual cases, which shall not include street performance for monetary gain.'.

5. After rule 15 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"15A. **Hours of work**.– Subject to the provisions of section 7, no adolescent shall be required or permitted to work in an establishment in excess of such number of hours of work as is permissible under the law for the time being in force regulating the hours of work of the adolescent in such establishment.".

6. In rule 16 of the principal rules, in sub-rule (1), for the word "children", the word "adolescents" shall be substituted.

7. After rule 16 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"16A. **Payment of amount to child or adolescent from and out of Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund**.- (1) The amount credited, deposited or invested, as the case may be, under sub-section (3) of section 14B to the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund and the interest accrued on it, shall be paid to the child or adolescent in whose favour such amount is credited in the following manner, namely:-

(i) the Inspector or the nodal officer having jurisdiction shall, under his supervision, ensure that an account of such child or adolescent is opened in a nationalised bank and inform the bank in which the amount of the Fund is deposited or, as the case may be, to the officer responsible to invest the amount of the Fund under sub-section (3) of section 14B;
(ii) the interest accrued on the proportionate amount of the Fund in favour of the child or adolescent shall be transferred every six months to the account of the child or adolescent, as the case may be, by the bank or officer responsible to invest the amount under information to the Inspector;
(iii) when the concerned child or adolescent completes the age of eighteen years, then, as soon as may be possible forthwith or within a period of three months, the total amount credited, deposited or invested in favour of the child along with interest accrued thereon remaining in the bank or remaining so invested under sub-section (3) of section 14B, shall be transferred to the said bank account of child or adolescent, as the case may be; and
(iv) the Inspector shall prepare a report of the amount transferred under clause (ii) and clause (iii) with particulars of the concerned child or adolescent sufficient to identify him and send a copy of the report annually to the Central Government for information.

(2) Any amount recovered by way of fine or for composition of offences in pursuance of an order or judgement of a Court in favour of a child or adolescent for the contravention of the provisions of the Act, shall also be deposited in the Fund and shall be spent in accordance with such order or judgement.".

8. For rule 17 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:-

'17. **Certificate of age**.- (1) Where an Inspector has an apprehension that any adolescent has been employed in any of the occupation or processes in which he is prohibited to be employed under section 3A of the Act, he may require the employer of such adolescent to produce to the Inspector a certificate of age from the appropriate medical authority.

(2) The appropriate medical authority shall, while examining an adolescent for issuing the certificate of age under sub-rule (1), take into account –

(i) the Aadhar card of the adolescent, and in the absence thereof;
(ii) the date of birth certificate from school or the matriculation or equivalent certificate from the concerned examination Board of the adolescent, if available, and in the absence thereof;
(iii) the birth certificate of the adolescent given by a corporation or a municipal authority or a Panchayat;

and only in the absence of any of the methods specified in clauses (i) to (iii), the age shall be determined by such medical authority through an ossification test or any other latest medical age determination test.

(3) The ossification test or any other latest medical age determination test shall be conducted on the order of the appropriate authority of the rank of Additional Labour Commissioner, as may be specified by the Central Government in this behalf, and such determination shall be completed within fifteen days from the date of such order.

(4) The certificate of age referred to in sub-rule (1) shall be issued in Form B.

(5) The charges payable to the medical authority for the issue of the certificate of age shall be same as specified by the Central Government or the State Government, as the case may be, for their Medical Boards.

(6) The charges payable to the medical authority shall be borne by the employer of the adolescent whose age is determined under this rule.

Explanation.- For the purposes of this rule, –

(i) "medical authority" means a Government medical doctor not below the rank of an Assistant Surgeon of a District or a regular doctor of equivalent rank employed in Employees' State Insurance dispensaries or hospitals;

(ii) "adolescent" means an adolescent as defined in clause (i) of section 2 of the Act.'.

9. After rule 17 of the principal rules, the following rules shall be inserted, namely:-

"17A. **Persons who may file complaint**.- Any person who may file a complaint under the Act for commission of any offence include school teachers and representatives from school management committee, child protection committee, Panchayat or Municipality, who shall be sensitised to file complaint, in the event that any of students in their respective schools is employed in contravention to the provisions of the Act.

17B. **Manner of compounding offences**.- (1) An accused person,-

(i) who commits an offence for the first time under sub-section (3) of section 14; or
(ii) who being parent or a guardian, commits an offence under the said section,

may file an application to the District Magistrate having jurisdiction for compounding the offence under sub-section (1) of section 14D.

(2) The District Magistrate shall after hearing the accused person and the Inspector concerned, on an application filed under sub-rule (1), dispose of such application, and if the application is allowed, issue the certificate of compounding, subject to –

(i) the payment of a sum of fifty per cent; of the maximum fine provided for such offence within a period to be specified in such certificate; or

(ii) the payment of an additional sum of twenty-five per cent; of the maximum fine provided for such offence together with the compounding amount specified under clause (i), if the accused person fails to pay the compounding amount under the said clause within the specified period, and such delayed payment shall be made within a further period as may be specified by the District Magistrate, which shall not exceed the period specified in that clause.

(3) The compounding amount shall be paid by the accused person to the Central Government.

(4) If the accused person fails to pay the compounding amount under sub-rule (2), then, the proceeding shall be continued as specified under sub-section (2) of section 14D.

17C. **Duties of District Magistrate**. - (1) The District Magistrate shall –

(i) specify such officers subordinate to him, as he considers necessary, to be called nodal officers, who shall exercise all or any of the powers and perform all or any of the duties of the District Magistrate conferred and imposed on him by the Central Government under section 17A;

(ii) assign such powers and duties, as he thinks appropriate, to a nodal officer to be exercised and performed by him within his local limits of jurisdiction as subordinate officer;

(iii) preside over as chairperson of the Task Force to be formed in a district consisting of –

(a) Inspector appointed under section 17 for the purposes of his local limits of jurisdiction;

(b) Superintendent of Police for the purposes of his local limits of jurisdiction;

(c) Additional District Magistrate for the purposes of his local limits of jurisdiction;

(d) nodal officer referred to under clause (i) for the purposes of his local limits of jurisdiction;

(e) Assistant Labour Commissioner (Central) for the purposes of his local limits of jurisdiction;

(f) two representatives each from a voluntary organisation involved in rescue and rehabilitation of employed children in the district on rotation basis for a period of two years;

(g) a representative of the District Legal Services Authority to be nominated by the District Judge;

(h) a member of the District Anti-trafficking Unit;

(i) Chairperson of the Child Welfare Committee of the District;

(j) District Child Protection Officer in the District under the Integrated Child Protection Scheme of the Ministry of the Government of India dealing with women and child development;

(k) District Education Officer;

(l) any other person nominated by the District Magistrate;

(m) Secretary of the Task Force shall be any of the nodal officers referred to in clause (i) and nominated by the Chairperson.

(2) The Task Force referred to in clause (iii) of sub-rule (1) shall meet at least once in every month and shall make a comprehensive action plan for conducting the rescue operation, taking into account the time available, point of raid in accordance with the law for the time being in force, confidentiality of the plan, protection of victims and witnesses and the interim relief, in accordance with the guidelines for rescue and repatriation issued by the Central Government from time to time; and the Task Force shall also cause to upload the minutes of such meeting on the portal created for such purpose by the Central Government.

(3) In addition to the duties referred to in sub-rule (1), the District Magistrate shall ensure through nodal officers that the children and adolescents who are employed in contravention of the provisions of the Act are rescued and shall be rehabilitated –

(a) in accordance with the provisions of –

(i) the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016) and the rules made there under;
(ii) the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (19 of 1976);
(iii) the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers, 2016;
(iv) any National Child Labour Project;
(v) any other law or scheme for the time being in force under which such children or adolescents may be rehabilitated; and subject to -
  (I) the directions, if any, of a court of competent jurisdiction;
  (II) the guidelines for rescue and repatriation issued by the Central Government from time to time in this regard.

17D. **Duties of Inspectors**.- An Inspector appointed by the Central Government under section 17, for the purposes of securing compliance with the provisions of the Act, shall –

(i) comply with the norms of inspection issued by the Central Government from time to time;
(ii) comply with the instructions issued by the Central Government from time to time for the purposes of securing the compliance with the provisions of the Act; and
(iii) report the Central Government quarterly regarding the inspection made by him for the purposes of securing the compliance with the provisions of the Act and the action taken by him for such purposes.

17E. **Periodical inspection and monitoring**.- The Central Government shall create a system of monitoring and inspection for carrying into effect the provisions of section 17, which may include–

(i) the number of periodical inspection to be conducted by the Inspector of the places at which the employment of children is prohibited and hazardous occupations or processes are carried out;
(ii) the intervals at which an Inspector shall report to the Central Government complaints received to him relating to the subject matter of inspection under clause (i) and the details of action taken by him thereafter;

(iii) maintenance of record electronically or otherwise of-
   (a) children and adolescent found to be working in contravention of the provisions of the Act including children who are found to be engaged in family or family enterprises in contravention of the Act;
   (b) number and details of the offences compounded;
   (c) details of compounding amount imposed and recovered; and
   (d) details of rehabilitation services provided to children and adolescents under the Act.”.

10. In Form A appended to the principal rules, in the heading of column 2, for the words “Name of child”, the words “Name of adolescent” shall be substituted.

11. After Form B appended to the principal rules, the following Form shall be inserted, namely:-

“**FORM C**

[See Rule 2C(1)(b)]
Undertaking under rule 2C(1)(b) of the
Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1988

I …………………………………………….. producer of …………………………………. an audio visual media production or organiser of ………………………………………………………… a commercial event, involving the participation of the following child/children, namely:-

S.No.	Name of the Child/ Children	Parent’s/Guardian’s Name	Address

do hereby undertake that in the course of the involvement of the above mentioned child/children in the event ……………………………………………………………..(specify the event), there shall be no violation of any of the provisions of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) and the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1988 and full care shall be taken of the physical and mental health, and other requirements of the child/children, so that he/they feel no inconvenience. I also undertake that during the event, all laws applicable for the time being in force for the protection of children, including their right to education, care and protection, and legal provisions against sexual offences will be complied.

Dated:……………….. Name and signature of the Producer.”.

[No.A-42025/2/2004-CL (Vol.IV)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide G.S.R 847(E), dated the 10th August, 1988.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.